न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–194 / 2026
पिपराही थाना कांड संख्या–194 / 2025.
सरकार बनाम् भुलन कुमार व अन्य
अंतर्गत धारा–115(2), 126(2), 303(2), 352, 351(2), 351(3), 191(2), 109 of BNS.

सी.एन.आर.नं0–BRSO01001091-2026

01. भुलन कुमार, पिता–हिरालाल राय, उम्र करीब–30 वर्ष,
02. बिन्दा राय, पिता–स्व0 मखन राय,
साकिन–कमरौली, थाना–पिपराही, जिला–शिवहर.....आवेदकगण।

बनाम्

बिहार सरकार.....विपक्षी।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता –श्री प्रभात कुमार।
बिहार सरकार की ओर से विद्वान लोक अभियोजक –श्री सुरेश राय।

उपस्थितिः दीपक कुमार,
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शिवहर।
21.05.2026

दिनांक–21.05.2026 **आदेश**

आवेदक अभियुक्त–01. भुलन कुमार एवं 02. बिन्दा राय, जिनका मामला पिपराही थाना कांड संख्या–194 / 2025, अंतर्गत धारा–**115(2), 126(2), 303(2), 352, 351(2), 351(3), 191(2), 109 of BNS.** के लिए दर्ज किया गया है, में उनके द्वारा उक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की प्रत्याशा में अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिनको उनके विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभात कुमार के द्वारा संचालित किया गया, जिस पर उनको एवं अभियोजन की ओर से विद्वान लोक अभियोजक श्री सुरेश राय को सुना गया।

प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन के सुनवाई के प्रारम्भ में आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा मौखिक रूप से एवं तत्पश्चात् लिखित रूप से एक आवेदन, जिसे विद्वान लोक अभियोजक के द्वारा भी हस्ताक्षरित किया गया है, इस आशय का दाखिल किया गया कि–आवेदकगण की ओर से श्रीमान् के न्यायालय में एक अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–194 / 2026 दाखिल किया गया है। आवेदक संख्या–01. भुलन कुमार है, जबकि सही नाम भूषण कुमार होना चाहिए। आवेदक संख्या–01. का नाम हटा देना न्याय हित में आवश्यक है। अतः आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किये गये मौखिक / लिखित आवेदन में वर्णित तथ्यों के आलोक में प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन के आवेदक संख्या–01. में वर्णित भुलन कुमार का नाम गलत अंकित हो जाने के कारण इस अग्रिम जमानत आवेदन से हटाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आवेदक को यह स्वतंत्रता होगी कि वह नाम सुधार कर पुनः नवीन अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल कर सकेंगे। अब इस वाद में मात्र एक आवेदक अभियुक्त–बिन्दा राय के विरूद्व अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई की जायेगी एवं आदेश पारित किया जायेगा।

अभियोजन का मामला प्राथमिकी के अनुसार संक्षेप में यह है कि सूचक शिवदत राय की लड़की रिंकी देवी की शादी करीब चार वर्ष पूर्व बिन्दा राय (आवेदक) के पुत्र लालू राय से हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार हुई, जिससे उसे दो लड़का है। दिनांक–01.10.2025 को समय करीब सात बजे सुबह सूचक के दामाद लालू राय ने मोटरसाईकिल खरीदने के सूचक की लड़की रिंकी देवी से अपने मॉ–बाप से एक लाख रुपया दिलवाने के लिए कहा और इनकार करने पर उसके साथ मारपीट किया और उसी रात में गला में फॉसी लगाकर जान से मारने की धमकी दिया, जिसकी जानकारी सूचक की पुत्री ने सूचक को मोबाईल से दी तो सूचक दिनांक–02.10.2025 को समय करीब आठ बजे सुबह में अपने दो लड़का और अपने समाज के लोगों के साथ ग्राम–कमरौली अपने दामाद के दरवाजे पर गये और वहॉ के समाज के लोगों को बुलाया और पंचायत की बात होने लगा। उसी क्रम में लालू राय, कृष्ण मोहन राय, मनतोरनी देवी, भूषण कुमार, बिन्दा राय (आवेदक), संतोष कुमार, संजीत कुमार, गायत्री देवी गाली देते हुए एकाएक लाठी–डंडा लेकर सूचक एवं उनके लड़का राजीव राय और अनिल राय एवं सूचक के समाज के लोगों को अंधाधुंध मारने लगे और सूचक के लड़का से दस हजार रुपया और गले का हनुमानी इनलोगों ने ले लिया और सूचक की लड़की रिंकी देवी चिल्लाते हुए बचाने आई तो उसे लालू राय, बिन्दा राय और गायत्री देवी डंडा से मारते

लगातार / –

<u>न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवहर।</u>
<u>अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–194/2026</u>
<u>पिपराही थाना कांड संख्या–194/2025.</u>
सरकार बनाम् भुलन कुमार व अन्य
अंतर्गत धारा–115(2), 126(2), 303(2), 352, 351(2), 351(3), 191(2), 109 of BNS.

सी.एन.आर.नं0–BRSO01001091-2026

<u>दिनांक–21.05.2026</u>

हुए जान मारने की नियत से गला दबा दिये और बोले कि इसको जान से मार देंगे। इसी आधार पर कांड संस्थित किया गया है।

अग्रिम जमानत आवेदन को प्रचालित कर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता कथन करते हैं कि आवेदक की ओर से इस अग्रिम जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई अग्रिम जमानत आवेदन किसी अन्य वरीय न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है और न ही लंबित है। आवेदक का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक सूचक के समधी हैं। आवेदक के विरूद्व लगाया गया सभी आरोप झूठा एवं निराधार है। मामूली से पारिवारिक मन–मुटाव के कारण सूचक ने आवेदक एवं उनके परिवार वालों के विरूद्व यह झूठा मुकदमा दाखिल करा दिया है। प्रस्तुत वाद की पीड़िता के पति सूचक के दामाद लालू राय को इसी न्यायालय के द्वारा पूर्व में जमानत की सुविधा प्रदान की गई है। पीड़िता पिछले चार माह से अपने पति के साथ ही रह रही है। आवेदक सक्षम जमानत बंध पत्र देने को तैयार है तथा उनके पलायन की कोई संभावना नही है। अतः आवेदक को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की जाये।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदक अभियुक्त के अग्रिम जमानत का विरोध करते हैं।

उभय पक्षों को सुना तथा प्राथमिकी एवं वाद दैनिकी के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त–बिन्दा राय, जो प्रस्तुत वाद के सूचक के समधी हैं, पर सूचक एवं उनके परिजनों के साथ प्राथमिकी के नामित अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गाली–गलौज एवं मारपीट करने की बात कही जाती है, लेकिन विशिष्ट रूप से कोई आरोप नहीं है। वाद दैनिकी की कंडिका–02. पर वादी का पुनःबयान है। कंडिका–03. पर साक्षी ने सिर्फ एक लड़का के द्वारा मारने की बात कहा है, लेकिन आवेदक अभियुक्त का नाम नहीं कहा है। कंडिका–51. पर जख्मियों के जख्म प्रतिवेदन का उल्लेख है, जिसमें चिकित्सक ने जख्मियों के जख्म की प्रकृति को साधारण पाया है। वाद दैनिकी की किसी भी कंडिका पर आवेदक अभियुक्त के अपराधिक इतिहास के सबंध में कोई भी तथ्य अंकित नहीं है, साथ ही आवेदक अभियुक्त के द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन के कंडिका–03. में वर्णित तथ्यों के अनुसार भी आवेदक का पूर्व से कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। अनुसंधान जारी है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अन्य को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक अभियुक्त–बिन्दा राय को आदेश की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर सक्षम विद्वान न्यायालय के समक्ष आत्म–समर्पण करने या गिरफ्तार होने पर सम्बन्धित विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी के संतुष्टियोग्य मो0–10,000/–(दस हजार रूपया) के दो समान प्रतिभू एवं जमानत बंध–पत्र निष्पादित किये जाने पर धारा–482(2)बी0एन0एस0एस0 के शर्त के साथ अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश प्रदान किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्विकृत

ह0/–

प्रधान सत्र न्यायाधीश
शिवहर।
21.05.2026